उपायुक्त का न्यायालय, दुमका

रे0मि0 अपील वाद सं0 35/2022–23

दासो किस्कू.....अपीलकर्त्ता

बनाम

विष्णुकांत चौधरी.....उत्तरकारी।

आदेश

11.04.2023

यह रे0मि0 अपील वाद अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका के पी0ए0 वाद सं0–18/2012–13 में पारित आदेश दिनांक–17.08.2021 के विरूद्ध में दायर किया गया है।

अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना तथा अभिलेख में उपलब्ध कागजातों का अवलोकन किया।

अभिलेख में उल्लेखित मुख्य तथ्य निम्न प्रकार है :–

मौजा–मटकरा एक प्रधानी मौजा है। ओपलकर्त्ता द्वारा मौजा के प्रधान पद पर गेंजर प्रधान के वंशज होने के नाते निम्न न्यायालय में पी0ए0 वाद सं0–18/2012–13 दाखिल किया गया। निम्न न्यायालय द्वारा अंतिम प्रधान के वंशज होने के नाते उत्तरकारी को प्रधान पद पर संथाल परगना कास्तकारी अधिनियम के धारा–6 क अन्तर्गत दिनांक–24.05.2013 को नियुक्त किया गया। इस आदेश के विरूद्ध में उपायुक्त के न्यायालय में RMR No.27/2013-14 दायर किया गया। इस पर तत्कालीन उपायुक्त द्वारा दिनांक–03.05.2016 को आदेश पारित करते हुए वाद पुर्नविचार हेतु अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका को प्रतिप्रेषित किया गया। तत्पश्चात् पुनः निम्न न्यायालय द्वारा दिनांक–17.08.2021 को उत्तरकारी को मौजा का प्रधान पद पर संथाल परगना कास्तकारी अधिनियम धारा–6 के अन्तर्गत नियुक्ति किया गया। इस के विरूद्ध में यह अपील वाद दायर किया गया है।

अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता का तर्क निम्न प्रकार हैः–

अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि अपीलकर्त्ता गेंजर सर्वे के प्रधान के वंशज है। अंचल अधिकारी द्वारा समर्पित प्रतिवेदन के अनुसार अपीलकर्त्ता को मौजा के रैयतों का समर्थन प्राप्त है। उत्तरकारी को रैयतों का समर्थन प्राप्त नहीं है। अतः निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश को विलोपित करते हुए अपील आवेदन को स्वीकृत किया जाय।

अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका द्वारा आदेश में उल्लेखित तथ्य निम्न प्रकार है :–

अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश में उल्लेख किया गया है कि मौजा के गैंजर प्रधान राम किस्कू थे।

प्रधान राम किस्कू द्वारा वार्षिक लगान की राशि जमा नहीं करने के कारण पी0ए0 वाद सं0–218/49–50 में प्रधान पद से उच्छेद किया गया एवं 16 आना रैयतों के सहमति के आधार मौजा मटकारा का प्रधान तेजनारायण चौधरी के पुत्र दीनदयाल चौधरी को बहाल किया गया। तत्पश्चात् दीनदयाल चौधरी के पुत्र ब्रजबिहारी चौधरी को प्रधान पद पर नियुक्त किया गया। इसी आधार पर पी0ए0 वाद सं0–18/2012–13 में 24.05.2013 को उत्तरकारी को किया गया नियुक्ति को बरकरार रखा गया है एवं अपीलकर्त्ता के दावों को अस्वीकृत किया गया है।

प्रावधान

Sec-6 Landlord to report the death of village headman. – When the village headman of a village which is not khas dies the landlord of the village shall report the fact within three months of its occurrence to the Deputy Commissioner with a view to the appointment of a village headman in the prescribed manner.

पुनःश्च Schedule V of the Santal Parganas Tenancy (Supplementary) Rules, 1950 provide for the rules for the appointment of headmen.

"In appointing headmen the following rules should be taken into consideration: The headman must be a resident of the village or his permanent home must be within one mile of the village.

The appointments of headmen shall be made in accordance with village customs, and before confirming any appointment, the Deputy Commissioner shall satisfy himself that the candidate is generally acceptable to the raiyats, and an opportunity shall also in every instance, be afforded to the proprietor to object to any candidate."

Schedule V of the Santal Parganas Tenancy (Supplementary) Rules, 1950 provide for the rules for the appointment of headmen.

1. "The office of headman being hereditary, the next heir, who is fitted should be headman. if the heir be a minor, he may be appointed headman with *Sarbrakhar* can be found, the right of the minor lapses.

2. "In appointing headmen the following rules should be taken into consideration:

The appointments of headmen shall be made in accordance with village customs, and before confirming any appointment, the Deputy Commissioner shall satisfy himself that the candidate is generally acceptable to the raiyats, and an opportunity shall also in every instance, be afforded to the proprietor to object to any candidate."

निष्कर्ष

अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता को सूनने एवं अभिलेख में उपलब्ध कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अपीलकर्त्ता के पूर्वज प्रधान राम मुर्मू को पी0ए0 वाद सं0–218/49–50 में वार्षिक लगान की राशि जमा नही करने के कारण उच्छेदित किया जा चुका है। इस आधार पर अपीलकर्त्ता का किसी प्रकार का दावा नही बनता है। अपीलकर्त्ता के अलावे मौजा के किसी भी रैयतों के द्वारा किसी प्रकार का आपत्ति उत्तरकारी के विरूद्ध नहीं है। उत्तरकारी अंतिम प्रधान के वंशज है। इस आधार पर निम्न न्यायालय के अंतिम प्रधान के वंशज का विधिवत (legally appoint) नियुक्त का निर्णय उचित है। इस आधार पर अपीलकर्त्ता के आवेदन को रद्ध करने योग्य है।

आदेश

उल्लेखित तथ्य एवं कानूनी प्रावधानों के आलोक में निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश सही एवं न्याय संगत प्रतीत होता है। इस पर किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाता उचित प्रतीत नही होता है। अतः निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश को बरकरार रखते हुए अपील आवेदन को अंगीकृत बिन्दु पर ही खारीज किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

उपायुक्त,
दुमका।

उपायुक्त,
दुमका।

Digitally signed by RAVI SHANKAR SHUKLA
Date: 2023.05.20 13:25:40 +05:30
Location: 169.254.227.244